EA- SEA विलय मुद्दे के बारे में वास्तविक तथ्य

जैसा कि आप जानते हैं कि Rs6500-10500 और Rs.7450-11500 के वेतनमान को ले जाने वाले कैडरों का विलय भी छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का एक हिस्सा था।

DoEXP OM दिनांक 13.11.2009 के अनुसार, PB 2 में 4600 / - का संशोधित ग्रेड वेतन, उन पदों को प्रदान किया गया है जो पूर्व संशोधित पैमाने पर रु .6500 / - 10500 के रूप में 01.01.2006 को दिए गए थे और जो थे रु .200 / के ग्रेड पे के सामान्य प्रतिस्थापन वेतन संरचना प्रदान की।

ARTEE की सजगता के कारण ही दिनांक 13.11.2009 के OM को क्रियान्वित किया गया और जिसके फलस्वरूप Rs. 6500- 10500 के पे-स्केल पर काम करने वाले सभी EAs को भीRs.7450-11500 के वेतनमान पर कार्यरत सभी SEAs के बराबर की जीपी 4600 दिए गए।

DOP & T ने दिनांक 24.03.2009 के अपने आदेश को रद्द करते हुए सभी मंत्रालयों को आदेश की अधिसूचना के छह महीने के भीतर विलय के भर्ती नियम तैयार करने की औपचारिकता पूरी करने का निर्देश दिया।

2010 में जब SEA से AE परीक्षा की घोषणा की गई थी, तब श्री प्रवीण कुमार और आठ अन्य EAs ने OA 2940/2010 के माध्यम से कैट दिल्ली का दरवाजा खटखटाया और प्रार्थना किया कि उन्हें भी SEA to AE परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। 30.11.2010 के आदेश के माध्यम से माननीय कैट ने EA-SEA के कैडर विलय तथा संबंधित भर्ती नियम(Recruitment Rules) निर्धारित करने का आदेश भी दिया ।

इसके बाद हमारे साथी एसोसिएशन ने भी कैट से संपर्क किया। इसलिए EA-SEA मर्जर का मुद्दा वर्ष 2010 में कुछ व्यक्तियों और हमारे साथी एसोसिएशन द्वारा दायर किए गए अदालती मामलों के कारण ही न्यायिक विचाराधीन हो गया था।. इसलिए कुछ नकारात्मक तत्वों द्वारा EA-SEA विलय में देरी के लिए पक्षपातपूर्ण तरीक़े से ARTEE को सिर्फ जिम्मेदार ठहराना एक कुत्सित प्रयास मात्र प्रतीत होता है ।

OA 2940/2010 में CAT के आदेश के बाद, DG (AIR) ने 2010 में EA को SEA परीक्षा को रद्द कर दिया था। इसके बाद, DG AIR ने Rs.4600 ग्रेड पे में EA और SEA के मर्जर के लिए एक प्रस्ताव भेजा था। लेकिन मंत्रालय EA और SEA को जीपी 4600 / - में विलय करने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद मंत्रालय ने DoPT और DoEXP से Rs.4200 / - GP में EA-SEA विलय के लिए अनुमोदन लिया। प्रवीण कुमार मामले में अवमानना याचिका की सुनवाई में मंत्रालय ने अदालत को सूचित किया कि 4200 जीपी में विलय कर दिया गया है और केवल SEA और EA के विलय वाले संवर्ग के लिए संशोधित Recruitment Rules तैयार करना शेष है। दुर्भाग्यवश सभी संघ 2012 में मंत्रालय द्वारा RS.4600 GP में EA-SEA MERGER हेतु लिए जा रहे अनुमोदन का मूकदर्शक बने रहे ।

परंतु आरती के 2013 के चुनाव के पश्चात गठित नयी टीम ने इस मुद्दे को अत्यंत गंभीरता से लेकर प्रभावी हस्तक्षेप करने से ही मंत्रालय को ईए और एसईए के विलयित कैडर के लिए रु .4200 / - के ग्रेड वेतन के साथ भर्ती नियमों के अंतिम रूप देने में सफलता नहीं मिल पाया।

दिनांक 08.07.2014 को DG AIR ने पूर्व के सभी आदेशों को निरस्त करते हुए एक तानाशाही आदेश Speaking order निर्गत किया ,जिसमें DG AIR ने सभी अभियांत्रिकी सहायकों का वेतनमान PAY BAND 2 मे Rs.4200 GP के हिसाब

से.पुनर्निधारित करने का सभी ADG कार्यालयों को स्पष्ट निर्देश यह तर्क देते हुए दिया कि मंत्रालय द्वारा 13.04.2012 के पत्र के अनुसार EA-SEA MERGER यथार्थ रूप में Rs.4200 GP में संपादित किया जा चुका है ।

DG AIR के इस तानाशाही कदम पर आरती ने पूरी शक्ति से विरोध किया और हमारे संघ के त्वरित और उपयुक्त कार्रवाई के फलस्वरूप ही DGAIR को उक्त आदेश को तुरंत वापस लेना पड़ा था । ये हमारी संगठन शक्ति की बड़ी जीत थी।

अभियांत्रिकी सहायक संवर्ग में केन्द्रीय कर्मचारी के अहर्ता प्राप्त EAs का दो वेतनमान मे होना EA-SEA के संभावित विलय के लिए एक बड़ी समस्या थी। अतः इसके बाद ARTEE ने सभी EAs को रु .6500-200- 10500 का वेतनमान दिलवाने के लिए सभी प्रयास किए और ARTEE का वह महाप्रयास सफल हुआ और सभी EAs (5K) को Rs. 6,500-10,500 का वेतनमान प्राप्त हुआ। अब सरकारी कर्मचारी के अहर्ता प्राप्त सभी EAs का ग्रेड वेतन Rs. 4600 / - हो चुका था। इसलिए 16.08.16 को प्रसार भारती ने AE के पद के लिए और SEA और EA के विलय किए गए संवर्ग के लिए Recruitment Rules का एक मसौदा Rs.4600 के G.P के साथ प्रकाशित किया।

17.02.2017 को ARTEE के सक्रिय अनुनय के कारण प्रसार भारती ने प्रसार भारती बोर्ड द्वारा अनुशंसित फाईनल "भर्ती नियम"को MIB को विचार और अधिसूचना के अनुमोदन हेतु भेजा गया था।

ARTEE के प्रयासों के कारण, प्रसार भारती ने वरिष्ठ इंजीनियरिंग सहायकों के इंजीनियरिंग सहायकों के मौजूदा पदों के विलय के मामले में प्रसार भारती के OM दिनांक 20.01.2017 और 17.02.2017 के माध्यम से अनुस्मारक(Reminder) भी भेजा है।

लेकिन मंत्रालय इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मंत्रालय SEA-EA विलय के कैडर को Rs.4600 के ग्रेड वेतन के रूप करने के लिए तैयार नहीं था।

इस बीच, 2018 में कुछ इंजीनियरिंग सहायक जिनमें श्री विजय हरोर भी शामिल ,ने EA-SEA के विलय वाले संवर्ग के लिए संशोधित भर्ती नियमों को अधिसूचित करने में देरी के खिलाफ दिल्ली कैट का दरवाजा खटखटाया । दिल्ली कैट ने अपने आदेश दिनांक 08.02.2018 के माध्यम से । & B मंत्रालय को कैट आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर संशोधित भर्ती नियमों को अधिसूचित करने का निर्देश दिया।

इसके बाद, विभाग ने RA 83/18 दायर किया जिसे खारिज कर दिया गया। चूंकि सरकार संशोधित भर्ती नियमों को अधिसूचित करने के लिए कोई पहल नहीं कर रही थी, जो माननीय कैट द्वारा निर्देशित किया गया था, इसलिए आवेदकों ने C.P 100/18 के माध्यम से OA 282/18 में अवमानना याचिका दायर की।

दिल्ली कैट में कंटेम्प्ट पिटीशन की पेंडेंसी के दौरान, सरकार ने कैट ऑर्डर को OA 282/18 में चुनौती देने के लिए रिट याचिका WPC 8712/18 दायर की, जिसे 20.08.18 को सूचीबद्ध किया गया था।

विजय हरोर के अनुरोध पर ARTEE ने उक्त केस को पूर्ण संरक्षण दिया और पूरी गंभीरता से ध्यान देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में उक्त केस के लिए देश के एक प्रख्यात अधिवक्ता श्री अश्विनी भारद्वाज जी की सेवाएं लेने का महत्वपूर्ण फैसला भी लिया । इस प्रकार ARTEE ने 20.08.20 को मामले की पहली सुनवाई के लिए डॉअश्वनी भारद्वाज की सेवाएं लीं।

हमारे अधिवक्ता के प्रभावी अनुनय के कारण, माननीय उच्च न्यायालय ने मामले को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, लेकिन सरकारी अधिवक्ता को चार सप्ताह की अवधि में उत्तर दाखिल करने के लिए कहा कि अब तक संशोधित भर्ती नियम क्यों नहीं किए गए।

माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को एसईए के साथ ईए के विलय वाले संवर्ग के लिए संशोधित भर्ती नियमों की अधिसूचना के मामले में सात साल की निष्क्रियता की व्याख्या करने के लिए कम से कम संयुक्त सचिव के पद के समकक्ष वाले एक अधिकारी द्वारा एक शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कहा था।

10.09.2018 को, कैट दिल्ली में सुनवाई के लिए OA 282/18 में अवमानना सीपी 310/18 आया। सरकारी वकील ने अवमानना का विरोध करने का तर्क दिया कि "यह मामला अब WP (C) 8712/18 के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया है।"

हमारे अधिवक्ता ने कहा कि उच्च न्यायालय दिल्ली ने न तो फैसले पर रोक लगाई है और न ही कोई नोटिस जारी किया है, बल्कि उच्च न्यायालय दिल्ली ने पूछा है कि न्यायाधिकरण के आदेश को 7 साल बाद भी लागू क्यों नहीं किया गया। उन्हें 4 सप्ताह में एक हलफनामा दायर करना पड़ा।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, न्यायाधिकरण ने अवमानना निरस्त करने से इनकार कर दिया और 02.11.18 की अगली तारीख को ध्यान में रखते हुए, माननीय HC में सुनवाई की अगली तारीख 24.10.18 को थी।

इस मामले को आगे की तारीखों में सूचीबद्ध किया गया था: -

1) .22.10.18,
2) .12.11.18,
3) .06.12.18,
4) .20.05.19
5) 03.07.19,
6) .15.10.19

उपरोक्त लिस्टिंग तिथियों में दोनों पक्षों ने हलफनामे और काउंटर हलफनामे प्रस्तुत किए और सभी प्रक्रियाएं 30.01.20 को अंतिम सुनवाई के लिए पूरी की गईं।

हमारे अधिवक्ता श्री अश्वनी भारद्वाज जी और श्रीमनीष बिश्नोई जी 30.01.20 को कोर्ट में उपस्थित थे और बहस के लिए तैयार थे। लेकिन AADEE ने अपने एक सदस्य श्री अश्विनी डागर के माध्यम से एक अंतरिम आवेदन दायर किया, जिसमें अदालत से अनुरोध किया गया कि वे मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति दें।

दुर्भाग्य से माननीय न्यायालय ने हमारे अधिवक्ताओं के कड़े विरोध के बावजूद उनकी मांग को अनुमति दी। लेकिन मामले पर बहस करने के बजाय, अगली तारीख के लिए हस्तक्षेप करने की मांग के रूप में Sh.Ashwani Dagar (AADEE) के वकील ने किया। यहाँ यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि सरकारी वकील भी अगली तारीख की मांग कर रहे थे और AADEE के वकील भी सरकारी वकील के पक्ष में तकरीर कर रहे थे।

हमारे अधिवक्ता ने इसका कड़ा विरोध किया और न्यायालय को सूचित किया कि पिछले दस वर्षों से यह विलय लंबित है। अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि मंत्रालय इसमें अनावश्यक देरी कर रहा है। लेकिन Sh.Ashwani Dagar (AADEE) के वकील ने अगली तारीख के लिए जोर दिया। हमारे अधिवक्ता ने Sh.Ashwani Dagar के वकील की मांग का विरोध किया और तर्क के लिए जाने का अनुरोध किया। लेकिन कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख के रूप में 28.04.2020 दिया, जिसे COVID-19 महामारी के कारण अब बढ़ाया जा रहा है।

30.01.2020 को, AADEE के वकील ने सरकारी वकील के सक्रिय समर्थन के साथ विलय पर होने वाले निर्णायक बहस और फैसले की संभावना को बिगाड़ दिया, जबकि मामला सुनवाई के लिए तय समय पर आया और दोनों न्यायाधीश और हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता बहस के लिए पूरी तरह तैयार थे।

सभी प्रभावित पक्ष किसी भी अदालत में उनसे जुड़े मुद्दों में एक मामले में शामिल हो सकते हैं। हम ऐसा करने की उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। लेकिन AADEE, पार्टी के रूप में शामिल होने के लिए अंतिम सुनवाई की तारीख का इंतजार क्यों कर रहा था ??? जबकि, पहली सुनवाई की तारीख (यानी 20.08.20 से), AADEE को दिल्ली उच्च न्यायालय में मामले में शामिल होने का अवसर था, लेकिन उन्होंने मामले में शामिल होने के लिए अंतिम सुनवाई की तारीख तक इंतजार किया। यह बहुत ही संदिग्ध है। AADEE द्वारा 30.01.20 को SEA-EAविलय पर होने वाले निर्णायक बहस और फैसले की संभावना को षडयंत्रपूर्वक टालने मे सरकारी वकील की मदद करना किसी भी तरह से कर्मचारी कल्याण के हित में नहीं था।

30.01.20 को, मामले के सकारात्मक रूप से निर्णय लेने का एक उचित मौका था, लेकिन AADEE के संदिग्ध कदम ने इसे बिगाड़ दिया। और अब महामारी परिदृश्य के कारण, मामले में अनिश्चित काल तक देरी हो रही है।

अब कर्मचारी कल्याण के इन दुश्मनों ने पूरी तरह से आधारहीन प्रचार शुरू कर दिया है कि ARTEE ने EA-SEA विलय के मुद्दे को लंबित बनाया है। जैसा कि हमने पूरे मामले में पहले ऊपर बताया था कि पहली बार कुछ लोगों द्वारा और हमारे साथी एसोसिएशन द्वारा 2010 में ही मुकदमा दायर किया गया था। उस मामले में स्वयं दिल्ली कैट ने विभाग को निर्देश दिया था कि वह एसईए के साथ ईए के विलय वाले कैडर के लिए भर्ती नियमों को अधिसूचित करे।

चूंकि मंत्रालय भर्ती नियमों को अधिसूचित करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा था, इसके बाद भी जब प्रसार भारती ने 17.02.17 को मंत्रालय को ड्राफ्ट भर्ती नियमों को आगे बढ़ाया, तो वर्ष 2018 में दिल्ली कैट में दूसरे एसोसिएशन के कुछ EAs द्वारा OA दायर किया गया था।

जब विभाग ने मामले में वर्ष 2018 में दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील दायर की, तो केवल ARTEE ने अदालत के मामले को प्रभावी प्रबंधन द्वारा मामले को संभाला। और अब AADEE खुद दिल्ली उच्च न्यायालय में इस मामले में अंतिम सुनवाई में देरी करने के मामले में शामिल हो गया। तत्पश्चात अब AADEE इस मामले में ARTEE पर बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। यह मुद्दा मूलतः उनके दोहरे मानक तथा कर्मचारियों के संवेदनशील मुद्दों के प्रति उनकी संवेदनहीनता को उजागर करता है और इसके बाद भी उनका राजनीतिक मंशा से किया जा रहा दुस्प्रचार "उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे" की तरह हास्यास्पद मात्र ही है।

आरती केंद्रीय टीम ।।

19.09.2020